प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2024

" यातायात माह" नवम्बर-2024 के दौरान मा0सदर विधायक व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा यातायात बूथ गुरूनानक चौक पर आम राहगीरों मे हेलमेट वितरण कर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया जागरूक-

आज दिनांक 18.11.2024 को "यातायात माह" नवम्बर-2024 के दौरान मा0सदर विधायक श्री प्रतीक भूषण सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा यातायात बूथ गुरूनानक चौक पर आम राहगीरों मे हेलमेट वितरण कर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। हेलमेट पहनने से मस्तिष्क/सिर में गंभीर चोट से बचा जा सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। हेलमेट वितरण के दौरान आम जनमानस व वाहन चालको को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. दो पहिया वाहन पर सवारी से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
09. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
10. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे /मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंड न करे।
14. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री मनोज कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री जगदम्बा गुप्ता व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल गोण्डा।